बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–05–08/2025(स्वा0) .... /पटना, दिनांक:–..

जिला पदाधिकारी, गोपालगज के पत्राक–476/सी० दिनांक–07.02.2025 के प्रतिवेदन द्वारा दिनांक–06.11.2024 को उप विकास आयुक्त, गोपालगज द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान डॉ० अरूण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज द्वारा उपस्थिति पंजी मे अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०–210(9) दिनांक–10.03.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० कुमार द्वारा बचाव लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

2. डॉ० कुमार द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की जॉच हेतु विभागीय पत्रांक–682(9) दिनांक–19.06.2025 द्वारा सिविल सर्जन, गोपालगंज से प्रतिवेदन की मॉग की गयी। जिसके आलोक में सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक–1787 दिनांक–07.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० अरूण कुमार दिनांक–06.11 2024 को निर्धारित कर्त्तव्य पर CCTV फुटेज एवं अभिलेख के अवलोकन उपरान्त अनुपस्थित पाये गये है। डॉ० कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के साथ दिनांक–06 11 2024 को अपने पाली में चिकित्सीय कार्य करने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमार के मामलें की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि डॉ० कुमार द्वारा दिनांक–06.11 2024 को चिकित्सीय कार्य करने से संबंधित किसी तरह का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन निन्दन की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० अरूण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज के विरूद्ध गठित आरोप में निन्दन की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–05–08/2025(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांक:–**.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–05–08/2025(स्वा0) 381(9)/ **पटना, दिनांक:–** 08.04.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा/सिविल सर्जन, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० अरूण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/04/2026 कृ०पृ०उ०

(15)

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04/2016

सरकार के अवर सचिव।